न्यायालयः - पूजा चन्द्रा,न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, बलौदाबाजार **जिला-बलौदाबाजार-भाटापारा (छ.ग)**	
निर्णय दिनांक –31.10.2026 परिवाद प्रकरण क्रमांक – 678/2025 फाईलिंग नं.- 5392/2025 परिवाद संस्थित दिनांक – 12.09.2025	
परिवादी	पंकज यदु, पिता- स्व.ललित कुमार यदु, उम्र- 61 वर्ष, निवासी- रामसागर तालाब के सामने बलौदाबाजार, जिला - बलौदाबाजार - भाटापारा (छ०ग०)
अधिवक्ता वास्ते परिवादी	श्री महान मिश्रा अधिवक्ता
अभियुक्त	राकेश कुमार गुप्ता, पिता- मदन लाल गुप्ता, उम्र-61 वर्ष निवासी- गांधी चौक बलौदा बाजार, थाना सिटीकोतवली, जिला बलौदाबाजार- भाटापारा (छ०ग०)
अधिवक्ता वास्ते अभियुक्त	श्री सतीशचंद्र श्रीवास्तव अधिवक्ता

फार्म-ई

घटना का दिनांक	01.07.2025 (चेक अनादरण दिनांक)
प्रथम सूचना रिपोर्ट दिनांक	-
परिवाद पत्र प्रस्तुती दिनांक	12.09.2025
अपराध विवरण विरचित दिनांक	24.12.2025
साक्ष्य प्रारंभ दिनांक	02.02.2026
निर्णय हेतु सुरक्षित रखे जाने की तिथि	-
निर्णय दिनांक	31.10.2026
दण्डादेश दिनांक यदि हो तो	-

अभियुक्त का विवरण						
अभियुक्त का नाम	गिरफ्तारी का दिनांक	जमानत पर छोड़ने का दिनांक	आरोपित अपराध	दोषसिद्धी या दोषमुक्ति	दंडादेश में दी गयी सजा	बीएनएसएस की धारा 468 के प्रयोजन हेतु अभिरक्षा
राकेश कुमार गुप्ता, पिता- मदन लाल गुप्ता	-	24.11.2025	धारा 138 परक्राम्य लिखत अधिनियम	**दोषसिद्ध**	06 माह का साधारण कारावास एवं 7,00,000/- रूपये प्रतिकर	

फार्म – एफ
अनुक्रमणिका

क्रमांक	विवरण	पृष्ट क्रमांक
1	निर्णय का शीर्षक	01
2	अधिवक्ता की उपस्थिति	01
3	आरोप	03
4	स्वीकृत तथ्य	03
5	परिवादी का परिवाद	03-05
6	अभियुक्त कथन	05
7	विचारणीय प्रश्न	05-06
8	सकारण निष्कर्ष	06-20
9	दण्डादेश (अर्थदण्ड)	21
10	अभिरक्षा अवधि	22
11	संपत्ति का निराकरण	-
12	प्रतिकर का आदेश।	21
13	धारा 468 बीएनएसएस का प्रमाण पत्र	23
14	सजा वारंट	-
15	निर्णय की प्रति	22

// निर्णय //

(आज दिनांक 31 / 10 / 2026 को घोषित)

(1) अभियुक्त राकेश कुमार गुप्ता के विरुद्ध परक्राम्य लिखत अधिनियम 1881 की धारा 138 के अंतर्गत यह आरोप है कि उसने अपने किसी ऋण अथवा दायित्व के उन्मोचन में परिवादी को दिनांक 30.06.2025 को रकम 7,00,000/- रु.(अक्षरी सात लाख रुपये) का एस बी आई बैंक शाखा अंबुजा सीमेंट रवान बलौदाबाजार का चेक क्रमांक 474092 प्रदान किया था, जो कि "अपर्याप्त राशि" होने के कारण अनादरित हो गई, जिसकी सूचना विहित अवधि के भीतर प्रदान किये जाने पर भी अभियुक्त द्वारा परिवाद का कारण उत्पन्न होने के बाद विहित अवधि के भीतर चेक में उल्लेखित राशि का संदाय नहीं किया।

(2) प्रकरण में कोई स्वीकृत तथ्य विद्यमान नहीं है ।

(3) परिवादी का परिवाद संक्षेप में इस प्रकार है कि परिवादी एवं अभियुक्त के मध्य अच्छी जान पहचान, मित्रता व विश्वास होने के चलते वक्त जरूरत अनुसार आपस में रूपयों का लेन-देन करते रहे है। अभियुक्त को अपने घरेलू कार्य हेतु रुपयों की आवश्यकता पड़ने के कारण उसने परिवादी से दिनांक 15.01.2025 को सम्पर्क कर 7,00,000/-रुपये (अक्षरी सात लाख रुपये) की उधार में मांग किया तथा तीन माह के अंदर वापस कर देगा कहा गया था। तब परिवादी ने कहा कि 7,00,000/- (अक्षरी सात लाख रुपये) बड़ी रकम है, व्यवस्था करने में 10-15 दिन का समय लगना बताया गया एवं रुपयो की व्यवस्था होने पर परिवादी ने दिनांक 30.01.2025 को अभियुक्त को

7,00,000/- (अक्षरी सात लाख रुपये) नगद प्रदान कर दिया, अभियुक्त ने परिवादी को आश्वासन दिया कि हर हाल में 7,00,000/- (अक्षरी सात लाख रुपये) तीन माह में परिवादी को वापस कर देगा। अभियुक्त के द्वारा परिवादी से 7,00,000/- रुपये को लेने के बाद तीन माह का समय व्यतीत हो जाने के बाद भी परिवादी से लिये रकम को वापस नहीं किया गया। तब परिवादी ने दिनांक 30.05.2025 को अभियुक्त से सम्पर्क किया और 7,00,000/- रुपये की मांग किया। तब अभियुक्त ने भारतीय स्टेट बैंक शाखा अंबुजा सीमेंट रवान में स्थित अपने खाता क्रमांक 31483106381 का चेक क्रमांक 474092 दिनांक 30.06.2025 राशि 7,00,000/- रुपये (अक्षरी सात लाख रुपये) उल्लेखित कर एवं हस्ताक्षर कर परिवादी को भुगतान बाबत् प्रदान कर दिया तथा अभियुक्त द्वारा कहा गया कि बैंक में चेक प्रस्तुत कर उधार भुगतान प्राप्त कर लेवे।

(4) परिवादी द्वारा आगे व्यक्त किया गया है कि अभियुक्त द्वारा दिये गये उक्त चेक को परिवादी ने दिनांक 30.06.2025 को कैनरा बैंक शाखा बलौदा बाजार के अपने खाता क्रमांक 5147101000480 में भुगतान चाहने बाबत् प्रस्तुत किया, जो अभियुक्त के खाता में पर्याप्त राशि नहीं (Funds insufficient) होने से बिना भुगतान के परिवादी को दिनांक 01.07.2025 को रिटर्न मेमो सहित उक्त चेक को अनादरित कर वापस कर दिया गया। अभियुक्त को परिवादी ने उक्त चेक के बाऊंस हो जाने की मौखिक सूचना दिया एवं उधार राशि 7,00,000/- (सात लाख रुपये) नगद मांग किया, तब अभियुक्त ने परिवादी से कहा कि रुपये नहीं दूंगा जाओ जो करना है कर लो। तब परिवादी द्वारा अपने अधिवक्ता के माध्यम से दिनांक 28.07.2025 को अभियुक्त के पता में

पंजीकृत कानूनी नोटिस प्रेषित किया। उक्त पंजीकृत नोटिस को अभियुक्त ने लेने से इंकार कर दिया। इस कारण उक्त पंजीकृत नोटिस लेने से इंकार टीप के साथ परिवादी के अधिवक्ता को वापस हो गया। इसके बावजूद भी आज पर्यन्त अभियुक्त के द्वारा उक्त चेक में उल्लेखित राशि का भुगतान परिवादी को नहीं किया है। उपरोक्त कारण से परिवादी ने यह परिवाद पत्र अंतर्गत परक्राम्य लिखत अधिनियम, 1881 की धारा 138, 142 के तहत न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया।

(5) अभियुक्त के विरुद्ध धारा 138 परक्राम्य लिखत अधिनियम का अपराध विरचित कर अपराध की विशिष्टियां पढ़कर सुनाये व समझाये जाने पर अभियुक्त द्वारा अपराध करने से इंकार किया गया। अभियुक्त की प्ली यथा संभव अभियुक्त के शब्दों में लेखबद्ध की गयी। अभियुक्त का बीएनएसएस की धारा 351 के अंतर्गत परीक्षण किये जाने पर उसके द्वारा बचाव में साक्ष्य देना व्यक्त किया गया।

(6) प्रकरण के निराकरण के लिए निम्न विचारणीय प्रश्न हैं -

(I) क्या अभियुक्त ने अपने किसी ऋण अथवा दायित्व उन्मोचन के लिए दिनांक दिनांक 30.06.2025 को रकम 7,00,000/- रु.(अक्षरी सात लाख रुपये) का एस बी आई बैंक शाखा अंबुजा सीमेंट रवान बलौदाबाजार का चेक क्रमांक 474092 परिवादी को दिया था?

(II) क्या प्रश्नगत चेक परिवादी ने क्लीयरेंस हेतु अपने कैनरा बैंक शाखा बलौदा बाजार में पेश किया, किन्तु उक्त चेक "अपर्याप्त राशि" के कारण अनादरित हो गया था ?

(III) क्या परिवादी द्वारा विहित समयावधि के भीतर मांग सूचना पत्र दिया गया था?

(IV) क्या अभियुक्त ने सूचना पत्र प्राप्ति के पंद्रह दिवस के भीतर उक्त राशि का भुगतान नहीं किया ?

(V) दोषसिद्ध या दोषमुक्त?

<u>विचारणीय प्रश्न क्र.(II) से (IV)का सकारण निष्कर्ष:-</u>

(7) परिवादी द्वारा अपने परिवाद पत्र के अनुरुप अपना शपथपत्रीय साक्ष्य प्रस्तुत किया है। परिवादी पंकज यदु ने स्वयं का परिवादी साक्षी क्र. 01 रूप में साक्ष्य प्रस्तुत किया है, जिसने अपने परिवाद के समर्थन में कैनरा बैंक में जमा किये गये चेक की जमा पर्ची रसीद **प्र.पी.01**, भारतीय स्टेट बैंक का विवादित चेक क्र. 474092 दिनांक 30.06.2025 **प्र.पी.-02**, रिटर्न मेमो कैनरा बैंक दिनांक 01.07.2025 **प्र.पी.-03**, पोस्टल रसीद दिनांक 29.07.2025 **प्र.पी.-04**, एक बंद लिफाफा दिनांक 30.07.2025 जिसमें राकेश कुमार गुप्ता को प्रषित स्पीड पोस्ट लेने से इंकार किये जाने की टीप के साथ **प्र.पी.-05** प्रस्तुत किया है।

(8) आगामी प्रक्रम में परक्राम्य लिखित अधिनियम 1881 की धारा 138 के अपराध की प्रमाणिकता हेतु धारा 138 के परन्तुक (क)(ख) एवं (ग) का प्रमाणीकरण होना आवश्यक है। **परन्तुक (क)** के संबंध में उल्लेखनीय है कि प्र.पी-02 चेक में चेक क्र. 474092 दिनांक 30.06.2025 अंकन किया गया है तथा दिनांक 30.06.2025 को कैनरा बैंक शाखा बलौदाबाजार में भुगतान हेतु जमा किया गया, जो यह दर्शित करता

है कि चेक विहित समयावधि 03 माह के अंदर प्रस्तुत किया गया। **परन्तुक (ख)** के संबंध में उल्लेखनीय है कि चेक अनादरण दिनांक 01.07.2025 की जानकारी रिटर्न मेमो प्र.पी.03 प्राप्त होने पर परिवादी द्वारा अभियुक्त को सूचना अपने अधिवक्ता के माध्यम से प्रेषित किया था, जिसकी पोस्टल रसीद दिनांक 29.07.2025 **प्र.पी.-04** प्रकरण में संलग्न है, जो दर्शित करता है कि विहित समयावधि ''30 दिवस'' में सूचना प्रेषित की गयी है।

(9) **परन्तुक (ग)** के संबंध में उल्लेखनीय है कि **प्र.पी- 05** के अवलोकन से दर्शित है कि उक्त सूचना अभियुक्त के रजिस्ट्रीकृत पते पर भेजा गया था, जो उक्त विधिक सूचना पत्र को दिनांक 30.07.2025 को अभियुक्त द्वारा लेने से इंकार किये जाने की टीप के साथ प्रकरण में संलग्न किया गया है, प्र.पी.- 05 में उल्लेखित पता को अभियुक्त द्वारा चुनौती नहीं देने व डाक के मामूली अनुक्रम में उक्त सूचना सम्यक् रूप से तामील मानी जाएगी, जिससे नोटिस तामिली के अतिरिक्त न्यायालय के समक्ष कोई अन्य निष्कर्ष नही निकलता है। उक्त सूचना प्राप्ति के 15 दिवस तक भी राशि न दिए जाने पर दिनांक 12.09.2025 को परिवाद संस्थित किया गया जो धारा 142(ख) के अनुसार भी विधिनुसार है। अतः प्रकरण में प्रस्तुत दस्तावेजों के आधार पर एवं उपरोक्तानुसार इस प्रकार **विचारणीय प्रश्न क्रमांक 02 से 04** का निष्कर्ष **"हां"** में दिया जाता है ।

<u>विचारणीय प्रश्न क्र.(I) का सकारण निष्कर्ष:-</u>

(10) वैध रूप से वसूली योग्य ऋण या दायित्व का अस्तित्व प्रमाणित करने का प्रारंभिक भार परिवादी पर होता है, धारा 139 एन.आई.एक्ट. की उपधारणा के कारण

इस प्रमाण भार का दायित्व समाप्त नहीं होता जैसा कि माननीय न्याय दृष्टांत **Krishna Janardan Bhat vs. Dattatraya G. Hegde (2004) 4 SCC 54** एवं **P. Venugopal vs Madan P. Sarathi AIR 2009 SC 568** में प्रतिपादित किया गया है। यदि परिवादी वैध रूप से वसूली योग्य ऋण या दायित्व का अस्तित्व प्रारंभिक रूप से प्रमाणित कर देता है, तो उसके पक्ष में धारा 139 एन.आई.एक्ट. की उपधारणा लेना आज्ञापक है। इसी प्रकार माननीय न्याय दृष्टांत **Rangappa vs Sri Mohan 2011 (1) SCC (CRI) 184** में तीन न्यायमूर्तिगण की पीठ ने यह प्रतिपादित किया है, कि धारा 139 एन.आई. एक्ट की उपधारणा में वैध रूप से वसूली योग्य ऋण या दायित्व का अस्तित्व में होना शामिल होता है।

(11) इस प्रकार प्रस्तुत प्रकरण में सर्वप्रथम यह देखा जाना है कि क्या विवादित **चेक प्र.पी.02** अधिनियम की मंशा के अनुसार ही अभियुक्त से विधिक दायित्व के उन्मोचन में परिवादी ने प्राप्त किया था ?

(12) इस संबंध में परिवादी **पंकज यदु (परिवादी साक्षी क्र.01)** ने अपने शपथपत्रीय कथन अंतर्गत धारा 145 परक्राम्य लिखत अधिनियम 1881 में अपने परिवाद के अनुरुप यह कथन किया है कि अभियुक्त ने अपने घरेलू कार्य हेतु रुपयो की आवश्यकता की बात कहकर परिवादी से 7,00,000/-रूपये (अक्षरी-सात लाख रूपये) की मांग किया तथा परिवादी को आश्वसन दिया कि उक्त रकम वह 03 माह के भीतर वापस कर देगा। अभियुक्त की बातों पर विश्वास कर परिवादी द्वारा दिनांक 30.01.2025

को 7,00,000/-रूपये (अक्षरी-सात लाख रूपये) नगद अभियुक्त को प्रदान किया गया। निर्धारित अवधि व्यतीत हो जाने के पश्चात आरोपी ने परिवादी को उधार रकम वापस नहीं दिया, तब परिवादी ने आरोपी से संपर्क कर उधार रकम वापसी की मांग की तो अभियुक्त कुछ दिनों में रकम दे देने का आश्वासन दिया। कुछ समय पश्चात रकम वापस न होने पर परिवादी ने दोबारा अभियुक्त से उधार रकम अदायगी की मांग की तो आरोपी ने दिनांक 30.06.2025 केो भारतीय स्टेट बैंक शाखा अंबुजा सीमेंट रवान स्थित अपने खाता क्र. 31483106381 का चेक क्रमांक 474092, दिनांकित 30.06.2025, राशि 7,00,000/- रूपये (अक्षरी-सात लाख रूपये) परिवादी को प्रदान किया। उक्त चेक को परिवादी ने भुगतान हेतु अपने कैनरा बैंक, शाखा बलौदाबाजार के खाता में प्रस्तुत किया, जो अभियुक्त के खाते में पर्याप्त राशि नहीं (Funds insufficient) की टीप सहित अनादरित हो गया, जिसकी सूचना रिटर्न मेमो दिनाँक 01.07.2025 के माध्यम से परिवादी को दी गई। तब परिवादी द्वारा अभियुक्त से मौखित सूचना देकर उधार राशि की मांग की गई, जिसपर अभियुक्त द्वारा उधार राशि देने से इंकार किया गया, तब परिवादी ने अपने अधिवक्ता के माध्यम से पंजीकृत डाक से अभियुक्त को 28.07.2025 को नोटिस प्रेषित कर चेक में दर्शित राशि की मांग की।

(13) उक्त कथनों के समर्थन में परिवादी की ओर से भारतीय स्टेट बैंक का विवादित चेक क्र. 474092 दिनांक 30.06.2025 **प्र.पी.-02**, रिटर्न मेमो कैनरा बैंक दिनांक 01.07.2025 **प्र.पी.-03**, पोस्टल रसीद दिनांक 29.07.2025

प्र.पी.-04, एक बंद लिफाफा दिनांक 30.07.2025 जिसमें राकेश कुमार गुप्ता को प्रषित स्पीड पोस्ट लेने से इंकार किये जाने की टीप के साथ **प्र.पी.-05** प्रस्तुत किया है।

(14) यदि परिवादी **पंकज यदु (प.सा.01)** के प्रतिपरीक्षण का अवलोकन किया जावे, तो परिवादी ने बचाव पक्ष के इस सुझाव से इंकार किया है कि अभियुक्त ने परिवादी से 7,00,000/- रूपये नहीं लिया था। परिवादी पंकज यदु (प.सा.01) के समग्र साक्ष्य का सूक्ष्म अवलोकन किया जावे तो बचाव पक्ष की ओर से उभयपक्ष के मध्य हुए संव्यवहार अर्थात परिवादी द्वारा अभियुक्त को 7,00,000/- रूपये (अक्षरी-सात लाख रूपये) प्रदान करने और उक्त राशि की अदायगी हेतु अभियुक्त द्वारा परिवादी को प्र.पी.02 का चेक प्रदान करने बावत तथ्यों पर परिवादी प्रतिपरीक्षण में अखंडित रहा है।

(15) अभियुक्त **राकेश कुमार गुप्ता (बचाव साक्षी क्र.01)** ने अपने बचाव साक्ष्य में यह कथन किया है कि उसने परिवादी पंकज यदु से अपने घरेलू कार्य हेतु कोई 07 लाख रुपये नहीं लिये थे एवं उसने परिवादी को कोई चेक भी नहीं दिया था। परंतु अभियुक्त ने अपने प्रतिपरीक्षण की कंडिका 04 में स्वीकार किया है कि प्रकरण में संलग्न चेक एवं हस्ताक्षर उसका है। किन्तु अभियुक्त ने चेक में लिखा गया नाम, राशि एवं दिनांक को उसके द्वारा नहीं लिखा जाना व्यक्त किया है।

(16) अभियुक्त का धारा 313 दण्ड प्रक्रिया संहिता के अंतर्गत परीक्षण किये जाने पर अभियुक्त ने यह उत्तर दिया है कि वह निर्दोष है तथा उसे झूठा फसांया गया है। अभियुक्त द्वारा चेक (प्र.पी.02) पर अपने हस्ताक्षर नहीं होने के संबंध में कोई स्पष्टीकरण नहीं दिया गया है तथा अभियुक्त प्रतिपरीक्षण की कंडिका 04 में स्वीकार किया है कि

प्रकरण में संलग्न चेक एवं हस्ताक्षर उसका है। यह कथन स्वयं इस तथ्य की पुष्टि करता है कि चेक अभियुक्त द्वारा ही परिवादी को दिया गया था तथा चेक पर हस्ताक्षर भी अभियुक्त के ही हैं, क्योंकि यदि चेक दिया ही नहीं गया होता या अभियुक्त द्वारा हस्ताक्षरित न होता, तो अभियुक्त द्वारा उक्त हस्ताक्षर के संबध में स्पष्टीकरण दिया जाता। अतः परिवादी के मौखिक साक्ष्य, प्रदर्शित दस्तावेजों तथा अभियुक्त के स्वयं के कथन से यह स्पष्ट होता है कि अभियुक्त ने परिवादी को विवादित चेक प्र.पी.02 दिया गया था। ऐसे में परिवादी के पक्ष में परक्राम्य लिखत अधिनियम की धारा 118 एवं 139 की उपधारणा उत्पन्न हो जाती है।

(17) परक्राम्य लिखत अधिनियम की धारा 118 (क) एवं धारा 139 उल्लेखनीय है, जो कि निम्नानुसार प्रावधानित है -

अधिनियम की धारा 118 (क) के अनुसार, "जब तक कि, प्रतिकूल साबित नहीं कर दिया जावे, यह उपधारणा की जावेगी कि, हर एक परक्राम्य लिखत प्रतिफलार्थ रचित या लिखी गयी थी और यह कि, हर ऐसी लिखत जब प्रतिगृहीत, पृष्ठांकित, परक्रामित या अंतरित हो चुकी हो, तब यह प्रतिफलार्थ, प्रतिगृहीत, पृष्ठांकित, परक्रामित या अंतरित की गई थी। "

अधिनियम की धारा 139 के अनुसार "जब तक की अन्यथा साबित न कर दिया जाये यह उपधारणा की जायेगी कि चेक के धारक ने वह चेक धारा 138 में निर्दिष्ट किसी ऋण अथवा अन्य दायित्व के भागतः या पूर्णतः उन्मोचन के लिए प्राप्त किया है।"

(18) इस प्रकार धारा 118 एवं 139 परक्राम्य लिखत अधिनियम को संयुक्त रूप से पढ़ने का यह आधार है कि यदि चेक के लेखीवाल के द्वारा चेक पर अपना हस्ताक्षर कर प्रदान किया जाता है तो इस बात की उपधारणा की जाएगी कि उक्त चेक प्रतिफलार्थ रचित था एवं चेक धारा 138 परक्राम्य लिखत अधिनियम में निर्दिष्ट किसी ऋण अथवा अन्य दायित्व के भागतः या पूर्णतः उन्मोचन में प्राप्त किया गया है । परंतु कई न्याय दृष्टांत से यह सुस्थापित विधि हो चुकी है कि परक्राम्य लिखत अधिनियम की धारा 139 खण्डन योग्य होती है।

(19) माननीय सर्वोच्च न्यायालय के न्यायदृष्टांत **रंगंपा विरूद्ध श्री मोहन क्रिमिनल अपील नं. 1020/2010 निर्णय दिनांक 07 मई 2010** में निर्धारित किया है कि प्रारंभिक उपधारणा परिवादी के पक्ष में होती है किंतु उक्त उपधारणा का खंडन आरोपी के द्वारा किया जा सकता है तथा यह भी निर्धारित किया है कि आरोपी से यह अपेक्षा नहीं की जा सकती कि वह उक्त सिद्धि के भार को संदेह से परे प्रमाणित करेए बल्कि संभावनाओं की बहुलता के आधार पर उक्त उपधारणा को वह खंडित कर सकता है। उक्त न्यायदृष्टांत के सुसंगत अंश निम्नानुसार है-

“**14.** In light of these extracts, we are in agreement with the respondent claimant that the presumption mandated by Section 139 of the Act does indeed include the existence of a legally enforceable debt or liability To that extent, the impugned observations in Krishna Janardhan Bhat (supra) may not be correct. However, this does not in any way cast

doubt on the correctness of the decision in that case since it was based on the specific facts and circumstances therein. As noted in the citations, this is of course in the nature of a rebuttable presumption and it is open to the accused to raise a defence wherein the existence of a legally enforceable debt or liability can be contested However, there can be no doubt that there is an initial presumption which favours the complainant. Section 139 of the Act is an example of a reverse onus clause that has been included in furtherance of the legislative objective of improving the credibility of negotiable instruments. While Section 138 of the Act specifies a strong criminal remedy in relation to the dishonour of cheques, the rebuttable presumption under Section 139 is a device to prevent undue delay in the course of litigation. However, it must be remembered that the offence made punishable by Section 138 can be better described as a regulatory offence since the bouncing of a cheque is largely in the nature of a civil wrong whose impact is usually confined to the private parties involved in commercial transactions. In such a scenario, the test of proportionality should guide the construction and interpretation of reverse onus clauses and the

accused/defendant cannot be expected to discharge an unduly high standard or proof. In the absence of compelling justifications, reverse onus clauses usually impose an evidentiary burden and not a persuasive burden. Keeping this in view, it is a settled position that when an accused has to rebut the presumption under Section 139, the standard of proof for doing so is that of preponderance of probabilities Therefore, if the accused is able to raise a probable defence which creates doubts about the existence of a legally enforceable debt or liability, the prosecution can fail. As clarified in the citations, the accused can rely on the materials submitted by thecomplainant in order to raise such a defence and it is conceivable that in some cases the accused may not need to adduce evidence of his/her own."

(20) परिवादी द्वारा माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पारित न्याय दृष्टांत Sanjabij Tari vs Kishore S. Borcar & Anr. पर विश्वास कर तर्क है, कि परक्राम्य लिखत अधिनियम की धारा 118 एवं 139 में उल्लेखित उपधारणा परिवादी के पक्ष में जिसका खण्डन अभियुक्त के द्वारा नहीं किया गया है। परिवादी द्वारा चेक को प्रमाणित किया गया है, जिसके उपरांत उसे अपनी वित्तीय सक्षमता को प्रमाणित करने की आवश्यकता नहीं है।

(21) उक्त उपधारणा के खंडन हेतु अभियुक्त की ओर से तर्क है कि परिवादी ने नगद राशि अभियुक्त को प्रदान करने का साक्ष्य प्रमाणित नहीं किया है। परिवादी ने अपना आयकर विवरणी प्रस्तुत नहीं है। परिवादी द्वारा 07 लाख की बड़ी रकम स्वयं के पास होने के संबंध में अपनी वित्तीय क्षमता को प्रमाणित नहीं किया है। विवादित चेक में लिखा गया नाम, राशि एवं दिनांक को अभियुक्त द्वारा नहीं लिखा जाना व्यक्त किया है। अभियुक्त की ओर से अधिनियम की धारा 118 एवं 139 की उपधारणाओं का खण्डन किया गया है। परिवादी का प्रकरण संदेहजनक है।

(22) विवादित चेक में लिखा गया नाम, राशि एवं दिनांक को अभियुक्त द्वारा नहीं लिखे जाने के संदर्भ में माननीय सर्वोच्च न्यायालय का न्याय दृष्टांत **Bir Singh V/S Mukesh Kumar (2019) 4 SCC 197** अवलोकनीय है, जिसमें माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा यह अधिनिर्धारित किया है कि- A meaningful reading of the provision of the negotiable Instruments Act including, in particular, section 20, 87 and 139, makes it amply clear that a person who signs a cheque and makes it over to the payee remains liable unless the adduces evidence to rebut the presumption that the cheque had been issued for payment of a debt or in discharge of a liability. It is immaterial that the cheque may have been filled in by any person other than the drawer, if the cheque is duly signed by the drawer. If the cheque is otherwise valid, the penal provisions of Section

138 would be attracted. If a signed blank cheque is voluntarily presented to a payee, towards some payment, the payee may fill up the amount and other particulars. This in itself would not invalidate the cheque. The onus would still be on the accused to prove that the cheque was not in discharge of a debt or liability by adducing evidence. Even a blank cheque leaf, voluntarily signed and handed over by the accused, which is towards some payment, would attract presumption under Section 139 of the Negotiable Instruments Act, in the absence of any cogent evidence to show that the cheque was not issued in discharge of a debt.

(23) अतः उपरोक्त न्यायदृष्टांत अनुसार चेक में हस्ताक्षर के अलावा अन्य प्रविष्टि को अभियुक्त की हस्तलिपि से नहीं भरे होने से चेक अमान्य नहीं हो जाता है। इस प्रकार प्रकरण में संलग्न चेक अभियुक्त का होना एवं उस पर अभियुक्त का हस्ताक्षर होना प्रमाणित पाया जाता है । अभियुक्त द्वारा विवादित चेक पर अपने हस्ताक्षर की स्वीकारोक्ति के संदर्भ में परक्राम्य लिखत अधिनियम की धारा 139 के प्रावधान को धारा 118 के साथ संयुक्त करने पर यह प्रकट होता है कि कोई धनादेश ऋण या दायित्व के निर्वहन के लिए जारी किया गया था। यह अनुमान खण्डनीय है और अभियुक्त के द्वारा इसे विपरीत साबित करके खण्डित किया जा सकता है। केवल अभियुक्त द्वारा इंकार करना खण्डनीय साक्ष्य नहीं है बल्कि अभियुक्त को निश्चित साक्ष्य से यह साबित करना है कि कोई ऋण या दायित्व नहीं था।

(24) अभियुक्त द्वारा मुख्यत: यह बचाव लिया गया है उसके द्वारा परिवादी को किसी प्रकार की राशि नहीं लिया गया था और न ही कोई चेक परिवादी को दिया गया था। अभियुक्त द्वारा यह भी व्यक्त किया गया है, उसके बैंक से संबाधित कार्य उसके चाचा किशोर गुप्ता देखते व करते थे, उसका चेक बुक भी उसके चाचा के पास ही रहता था, उसका खाता भी वहीं खोलवाये थे । वह अपने चाचा को तीन से चार कोरा चेक में हस्ताक्षर करके देता था । उसने परिवादी पंकज यदु को कोई चेक नहीं दिया था। परंतु अभियुक्त से स्वयं अपने प्रतिपरीक्षण में स्वीकार किया है कि उसके चाचा किशोर गुप्ता स्टेट बैंक में कार्य करते थे इसके संबंध में कोई दस्तावेज संलग्न नहीं किया है एवं उसके चाचा की मृत्यु 02 वर्ष पहले होने के संबंध में भी कोई दस्तावेज संलग्न नहीं किया है।

(25) अभियुक्त की ओर से लिये गये उपरोक्त खंडन के संबंध में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा नवीनतम न्यायदृष्टांत में **Kuntegowda v. Thurubaiah (2026 SCC OnLine SC 1485)** में यह प्रतिपादित किया है कि एक बार जब अभियुक्त चेक पर अपने हस्ताक्षर स्वीकार कर लेता है, तो धारा 118 और 139 के तहत अनिवार्य कानूनी अनुमान स्वचालित रूप से लागू हो जाता है एवं परिवादी के वित्तीय क्षमता के संबंध में यदि अभियुक्त उक्त सवाल उठाना चाहता है, तो उसे अनिवार्य रूप से यह विशिष्ट बचाव कानूनी/डिमांड नोटिस के अपने औपचारिक जवाब में ही उठाना चाहिए। तथा अभियुक्त द्वारा मौखिक रुप से ऋण नहीं लिया जाना कह देने से परिवादी के पक्ष की उपधारणा का खंडन नहीं हो जाता है। उक्त न्यायदृष्टांत के सुसंगत अंश निम्नानुसार है-

"**5.7**- A conjoint and harmonious reading of the aforesaid provisions clearly indicate towards the statutory presumption that every negotiable instrument was made or drawn for consideration and that it was executed for discharge of debt or liability once the execution of the negotiable instrument is either approved or admitted. As soon as the complainant discharges the burden to prove that the instrument was executed by the drawer, the rules of presumption under Sections 118 and 139 of the NI Act help him and shift the burden of rebutting the said presumptions upon the said drawer. Since these presumptions are rebuttable presumptions, the accused has the burden of disproving the same by leading evidence, either direct or indirect to the effect that there did not exist any consideration or debt or that the non-existence of the said debt or consideration is so probable that a prudent man ought to suppose that no consideration or debt existed. However, **a bare denial of the passing of any consideration or existence of any debt does not support the defence of the accused and therefore to disprove the presumptions, something which is probable has to be brought on record for getting the burden of proof shifted back to the**

complainant. The accused has to bring on record such facts and circumstances, upon consideration of which the court may either believe that the consideration and the debt did not exist or their non-existence was so probable that a prudent man would, under the circumstances of the case, act upon the plea that it did not exist."

"**6.7**- the failure of the accused to respond to the statutory notice issued under Section 138 of the NI Act gives rise to an inference that the complainant's version carries merit. The initial burden of raising a defence that the complainant lacked the **financial capacity** to advance the loan rests upon the accused and ought to have been specifically pleaded in the reply to the demand notice. In the absence of such a plea, the complainant cannot be expected, to adduce evidence establishing his financial capacity to pay the loan to the accused while leading his evidence. The accused may discharge this burden by producing independent witnesses or documentary evidence to demonstrate the complainant's lack of financial means. Alternatively, he may rely upon the materials produced by the complainant himself or establish the same through an effective cross-examination of the complainant and his

witnesses. In the facts of the present case, no such contra material has been placed on record before us to further the case of the accused that the complainant did not have any means to extend the hand loan and therefore the argument and defence of the accused on this aspect falls flat."

(26) उपरोक्त न्याय दृष्टांत के परिप्रेक्ष में वर्तमान परिवाद में अभियुक्त द्वारा अपने अंतिम तर्क के स्तर पर परिवादी के वित्तीय क्षमता के संबंध में सवाल उठाया गया है न की डिमांड नोटिस के स्तर पर। अभियुक्त द्वारा विवादित चेक प्र.पी.02 को स्वयं का होना एवं उसपर हस्ताक्षर को भी स्वयं का होना स्वीकार किया है। इस प्रकार परिवादी द्वारा धारा 138 परक्राम्य लिखत अधिनियम के सभी आवश्यक तत्वो को साबित किया है। जिससे उसके पक्ष में धारा 139 के तहत उपधारणा की जाती है, जिसका अभियुक्त द्वारा कोई तात्विक खंडन भी नहीं किया जा सका है। अतः उपरोक्त न्याय दृष्टांत एवं साक्ष्य विवेचन के अनुसार अभियुक्त संभावना की प्रबलता के आधार पर धारा 118 सहपठित धारा 139 परक्राम्य लिखत अधिनियम की उपधारणा का खंण्डन करने में असमर्थ रहा है। अतः विचारणीय प्रश्न क्रमांक 01 का निष्कर्ष ''प्रमाणित'' में दिया जाता है।

<u>विचारणीय प्रश्न क्र.(V) :-</u>

(27) प्रकरण अतः उपरोक्तानुसार समस्त विचारणीय प्रश्न का सकारात्मक निष्कर्ष प्राप्त होने पर अभियुक्त राकेश कुमार गुप्ता को परक्राम्य लिखित अधिनियम 1881 की धारा 138 के अपराध में **दोषसिद्ध** पाया जाता है।

(28) दण्ड के प्रश्न पर विचार किया गया आरोपी के विरूद्ध आरोपित अपराध आर्थिक अपराध की श्रेणी में आता है तथा आरोपी के द्वारा परिवादी से उधार में रकम लेकर उसकी अदायगी हेतु यह जानते हुए चैक प्रदान किया गया है कि उसके खाते में अपर्याप्त निधि है । वर्तमान समय में बढ़ रहे चैक अनादरण के अपराध को देखते हुए आरोपी को परिवीक्षा अधिनियम को लाभ दिया जाना उचित प्रतीत नहीं हो रहा है।

(29) प्रकरण की परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए आरोपी को धारा 138 परक्राम्य लिखत अधिनियम के अपराध में छः माह के साधारण कारावास के सजा से दण्डित किया जाता है।

(30) आरोपी के कृत्य से परिवादी को प्रश्नगत चैक धनराशि की आर्थिक क्षति होने तारतम्य में बीएनएसएस की धारा 395(3) के अंतर्गत आरोपी परिवादी को 7,00,000/- रुपये की प्रतिकर राशि अपील अवधि पश्चात अपील न होने पर प्रतिकर स्वरूप प्रदान करेगा। अपील होने की दशा में माननीय अपीलीय न्यायालय के आदेश का पालन किया जावे। प्रतिकर राशि अदायगी में व्यतिक्रम की दशा में आरोपी को 01 माह का साधारण कारावास पृथक से भुगताई जावे।

(31) प्रकरण में प्रस्तुत दस्तावेज साक्ष्य के विषय वस्तु होने के कारण अभिलेख का अंग होगे। अपील होने की दशा में माननीय अपीलीय न्यायालय के निर्देशानुसार निराकरण किया जाये।

(32) धारा 481 बीएनएसएस के अंतर्गत प्रस्तुत जमानत मुचलके के अतिरिक्त अभियुक्त के समस्त जमानत मुचलके उन्मोचित किये जाते हैं। अभियुक्त के द्वारा धारा

481 बीएनएसएस के अंतर्गत प्रस्तुत जमानत मुचलका निर्णय के छः माह उपरांत उन्मोचित समझा जावेगा।

(33) निर्णय की प्रति अभियुक्त को निःशुल्क बीएनएसएस की धारा 404 के अनुसार प्रदान की जावे।

(34) अभियुक्त को दिए गए दंडादेश से धारा 468 बीएनएसएस के अंतर्गत मुजरा किए जाने वाली निरोध अवधि निरंक है। जिसके संबंध में धारा 468 बीएनएसएस के तहत पृथक से प्रमाण पत्र तैयार किया गया जो निर्णय का भाग होगा।

स्थान - बलौदाबाजार (छ.ग.)

दिनांक – 31.10.2026

सही/-
(पूजा चन्द्रा)
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी
बलौदाबाजार (छ.ग.)

<u>परीक्षित साक्षीगण के लिए नमूना चार्ट</u>

साक्षी क्र.	**साक्षी का नाम**	**विवरण**
परिवादी साक्षी क्र.01	पंकज कुमार यदु	परिवादी
बचाव साक्षी क्र. 01	राकेश कुमार गुप्ता	अभियुक्त

प्रदर्शित दस्तावेजों के लिए नमूना चार्ट

प्रदर्श क्र.	**प्रदर्श का विवरण**	**किसके द्वारा प्रमाणित/ अनुप्रमाणित**
प्र.पी.01	चेक की जमा पर्ची रसीद	परि.सा.01
प्र.पी.02	चेक क्रमांक 474092	परि.सा.01
प्र.पी.03	रिटर्न मेमो	परि.सा.01
प्र.पी.04	पोस्टल रसीद	परि.सा.01

प्र.पी.05	एक बंद लिफाफा (स्पीड पोस्ट के माध्यम से भेजा गया पंजीकृत नोटिस)	परि.सा.01

भौतिक वस्तुओं/मद्दामाल के लिए नमूना चार्ट

भौतिक वस्तु (M.O) क्र.	प्रदर्श का विवरण	किसके द्वारा प्रमाणित/ अनुप्रमाणित
-	-	-

न्यायालयः - पूजा चन्द्रा,न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, बलौदाबाजार

जिला-बलौदाबाजार-भाटापारा (छ.ग)

परिवाद क्रमांक 678/2025

धारा 138, 142 परक्राम्य लिखत अधिनियम

(निरोध-अवधि तालिका अंतर्गत धारा 428 दं.प्र.सं.)

अभियुक्त का नाम	गिरफ्तारी दिनांक	जमानत दिनांक	पुलिस अभिरक्षा की अवधि	न्यायिक अभिरक्षा की अवधि	निरोध में बितायी गयी कुल अवधि	परिणाम एवं समायोजित अवधि
राकेश कुमार गुप्ता, पिता- मदन लाल गुप्ता	-	24.11.2025	निरंक	निरंक	निरंक	निरंक

स्थान - बलौदाबाजार (छ.ग.)

दिनांक – 31.10.2026

सही/-

(पूजा चन्द्रा)

न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी

बलौदाबाजार (छ.ग.)

POOJA CHANDRA

Digitally signed by POOJA CHANDRA

Date: 2026.10.31 16:51:52 +0530